न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 36 / 2025

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. किशनदान पुत्र जामदान 2. प्रभुदान पुत्र जामदान 3. रतनदान पुत्र जामदान 4. मोरू पत्नी जामदान जाति चारण निवासीयान सुन्दर ग्रा.पं. चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत चौहटन जरिये सरपंच 2. नरपत दान पुत्र वरसदान जाति चारण निवासी सुन्दर नगर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 4709 मिसल सं. 242 दिनांक 22.10.2024 जो अप्रार्थी सं. 2 नरतपदान के नाम ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पदमसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.06.2026

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम चौहटन मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 4709 दिनांक 20.10.2024 को जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1000 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत चौहटन का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि विवेच्य पट्टा राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी होना पट्टे पर अंकित किया गया है जो कि 50 वर्ष पुराने गृहों (मकान) के निर्मित होने के आधार पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है, किन्तु पट्टाधारी उतरदाता संख्या 02 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जे/रहवासी परिसर एवं दक्षिण दिशा में चल रहे आम रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जाकर यह पट्टा जारी किया है। जो भूमि हड़प करने के आशय से छिपे तौर पर पुराने गृहो के नियमितीकरण के तहत पट्टे प्राप्त किये है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जारी पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना नहीं कि जाने एवं नियमों की अनदेखी किये जाने के आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त करने योग्य हैं।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड मौजा चौहटन की आबादी भूमि में आया हुआ हैं। उक्त आलौच्य पट्टा उतरदाता संख्या 02 नरपतदान ने निगरानीकर्ता के स्वामित्व, आधिपत्य के रहवासी परिसर का गलत तरीके से अपने नाम जारी करवा दिया है जबकि उतरदाता नरपतदान का मौके पर 10 गुणा 25 पर ही कब्जा है। इस संबध में सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा वादग्रस्त स्थल का वास्तविक मौका निरीक्षण किए बिना व निगरानीकर्ता को आलौच्य पट्टे की कार्यवाही बाबत कोई सूचना व

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर

जिला कलक्टर

जानकारी दिए बिना निगरानीकर्ता के स्वामित्व, आधिपत्य के परिसर जो कुल 70 गुणा 25 निगरानीकर्तागण का संयुक्त रहवासीय मकान बने हुए है। इसके बावजूद उतरदाता संख्या 01 द्वारा उतरदाता संख्या 02 के पक्ष में निगरानीकर्ता के आवासीय मकान मे 30 गुणा 25 भाग की भूमि पर पट्टा जारी करवा दिया जो पट्टा राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने निगरानीकर्ता को नरपतदान के पक्ष में जारी किये जाने वाले पट्टे बाबत कोई जानकारी नहीं दी और न ही आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। इसके साथ ही आलोच्य पट्टा जारी करते समय सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन ने ग्राम पंचायत की साधारण सभा में कोई प्रस्ताव नहीं लिया और न ही ग्राम पंचायत की साधारण सभा की सूचना निगरानीकर्ता को दी और पट्टा जारी करने की विहित प्रक्रिया के क्रम मे पट्टा पत्रावली मे हर आम खास को सूचित करने व आपत्ति प्रस्तुत करने बाबत कोई उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उक्त पट्टा जारी करने की विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना आलौच्य पट्टा नरपतदान के पक्ष में जारी कर दिया जो पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन ने राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए जारी किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा जारी आलौच्य पट्टा संख्या 4709 दिनांक 22.10.2024 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

5. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत चौहटन की आबादी भूमि में अप्रार्थी का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा सं. 4709 दिनांक 22.10.2024 को जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 का कथन है कि आलौच्य पट्टे सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेकर मौका स्थल निरीक्षण करवाया गया तथा नियमानुसार आपत्तियां आमंत्रित करने के पश्चात आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं। इसके साथ ही श्रीमान के न्यायालय में पट्टे की वैधता की जांच होनी चाहिए एवं पैतृक भूमि पर हक/हिस्सा किसका है यह सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा हस्तगत पट्टे से संबंधित एक सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त प्रकरण में श्रीमान द्वारा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम चौहटन मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 4709 दिनांक 20.10.2024 को जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1000 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

का कथन है कि विवेच्य पट्टा राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी होना पट्टे पर अंकित किया गया है जो कि 50 वर्ष पुराने गृहों (मकान) के निर्मित होने के आधार पर पट्टा जारी करने का प्रावधान है, किन्तु पट्टाधारी उतरदाता संख्या 02 द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जे/रहवासी परिसर एवं दक्षिण दिशा में चल रहे आम रास्ते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जाकर यह पट्टा जारी किया है। जो भूमि हड़प करने के आशय से छिपे तौर पर पुराने गृहो के नियमितीकरण के तहत पट्टे प्राप्त किये है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जारी पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना नहीं कि जाने एवं नियमों की अनदेखी किये जाने के आधार पर आलौच्य पट्टा निरस्त करने योग्य हैं। अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा नियमानुसार पुराने गृहों का विनियमितिकरण नियम राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 का कथन है कि श्रीमान के न्यायालय में पट्टे की वैधता की जांच होनी चाहिए एवं पैतृक भूमि पर हक/हिस्सा किसका है यह सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा हस्तगत पट्टे से संबंधित एक सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त प्रकरण में श्रीमान द्वारा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 के भूखण्ड को हड़पने की नियत से परेशान करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया हैं जो खारिज योग्य हैं जो सव्यय खारिज फरमाया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया जिसमें पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत चौहटन के समक्ष आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस (उजरदारी पत्र) नियम 148 (2) उप–नियम (1) जो कि दो प्रतियों में तैयार किया जाना जायेगा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर

और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जाये, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी, जबकि उक्त आक्षेप आमन्त्रित नोटिस सार्वजनिक रूप से विधिवत प्रकाशित नहीं किया गया हैं। इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 02 के स्वामित्व एवं आधिपत्य हेतु साक्ष्य स्वरूप पडोसियान / गवाहों के शपथ–पत्र द्वारा ताईद नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा जारी करवाया गया है उक्त भूखण्ड पर कब्जे के साक्ष्य में विद्युत / पानी बिल प्रस्तुत नहीं किये गये है और न ही आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों के निरीक्षण प्रपत्र (नियम 146) में अप्रार्थी संख्या 02 का विशिष्ट रूप से पक्का / कच्चा मकान बना होना अंकन किया गया है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने सम्बन्धी पत्रावली के अवलोकन से ग्राम पंचायत की ओर से की गई कार्यवाही नियमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही हैं, जिसके आधार पर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत नियमितता एवं पूर्णता के पहलु पर स्वीकार योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा बैठक दिनांक 20.10.2024 के संकल्प सं. 2 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 4709 दिनांक 20.10.2024 को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर